CURRENT AFFAIRS

Result Mitra

NEWS FOR UPSC

UPSC, IAS/PCS

State Exam

All Exam

07 Feb 2025

ABHAY SIR

❖ Topic 1:- S-400 एयर डिफेंस सिस्टम: भारत को चौथा स्क्वाड्रन 2025 में मिलेगा

❖ Topic 2:– धन्यवाद प्रस्ताव

❖ Topic 3:– महिला जननांग विकृति के प्रति शून्य सहनशीलता दिवस

❖ Topic 4:- बागवानी उत्पादन के नए आंकड़े (2023-24 और 2024-25)

❖ Topic 5:- शास्त्रीय भाषा को मिलने वाले लाभ

S-400 एयर डिफेंस सिस्टम: भारत को चौथा स्क्वाड्रन 2025 में मिलेगा

❖ भारत और रूस के बीच S-400 डील

❖ 2018 में भारत और रूस के बीच 35,000 करोड़ रुपये की डील फाइनल हुई।

❖ कुल 5 स्क्वाड्रन मिलने हैं, जिनमें से 3 स्क्वाड्रन पहले ही भारत आ चुके हैं।

❖ चौथा स्क्वाड्रन 2025 के अंत तक, जबकि पांचवां स्क्वाड्रन 2026 में मिलने की उम्मीद।

❖ S-400 स्क्वाड्रन की तैनाती और क्षमताएं

❖ भारत ने पहले 3 स्क्वाड्रन को चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात किया।

❖ प्रत्येक स्क्वाड्रन में 16 व्हीकल होते हैं, जिनमें लॉन्चर, रडार, कंट्रोल सेंटर और सहायक वाहन शामिल होते हैं।

❖ 600 किमी दूर तक टारगेट ट्रैक कर सकता है और 400 किमी तक मार करने में सक्षम है।

Result Mitra

КШМ
«Редут-221»

РЛС
80К6М

ПБУ
9С470 МБ

СОУ
9А310 МБ

ЗУР 9М38М1, 9М317

МТО
9В881 МБ
МТРО-1, -2

ЗИП 9Т456 МБ

ТМ
9Т243 МБ
КТО 9Т318

АКИС
МРР

УКС-250

ПЭС-100

КС-4517

❖ S-400 की वॉर प्रैक्टिस (जुलाई 2024)

- ❖ भारतीय वायुसेना ने थिएटर-लेवल वॉर प्रैक्टिस की।
- ❖ S-400 ने दुश्मन के 80% फाइटर जेट्स को मार गिराया।
- ❖ वॉर प्रैक्टिस में राफेल, सुखोई और मिग को दुश्मन मानकर S-400 की क्षमताओं का परीक्षण किया गया।

❖ S-400 क्या है?

- ❖ एयर डिफेंस सिस्टम जो हवा से होने वाले हमलों को रोकता है।
- ❖ मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट लॉन्चर और फाइटर जेट्स को नष्ट करने में सक्षम।
- ❖ इसे रूस की एलमाज सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो ने विकसित किया है।
- ❖ दुनिया के सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम में से एक।

❖ S-400 की खासियतें

❖ **लॉन्ग रेंज डिटेक्शन:** S-400 की रेंज 400 किलोमीटर तक है, जिससे यह दूर स्थित टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है।

❖ **मोबिलिटी:** इसे रोड के जरिए आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है।

❖ **अत्याधुनिक रडार:** 92N6E इलेक्ट्रॉनिकली स्टीयर्ड फेज्ड ऐरे रडार 600 किलोमीटर दूर तक मल्टिपल टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है।

❖ **तेजी से ऑपरेशन रेडीनेस:** यह ऑर्डर मिलने के 5-10 मिनट के भीतर ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाता है।

❖ **मल्टी-टारगेट ट्रैकिंग:** एक यूनिट से 160 ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक किया जा सकता है और एक टारगेट पर 2 मिसाइल दागी जा सकती हैं।

❖ **हाई-एल्टीट्यूड अटैक क्षमता:** यह 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक अपने टारगेट को अटैक कर सकता है।

❖ **स्टील्थ फीचर:** यह खुद को दुश्मन के रडार से छुपाने में सक्षम है, जिससे इसे आसानी से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता।

❖ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को कई देशों ने अपनाया है। ये देश इसे अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं:

❖ **S-400 का इस्तेमाल करने वाले देश**

1. **रूस** – यह सिस्टम रूस द्वारा विकसित किया गया है और इसकी सेना इसका प्रमुख उपयोगकर्ता है।

2. भारत – भारत ने 2018 में रूस से S-400 खरीदने का समझौता किया था और इसकी डिलीवरी जारी है।

3. चीन – चीन पहला विदेशी देश था जिसने S-400 सिस्टम खरीदा और इसे अपनी एयर डिफेंस स्ट्रैटेजी में शामिल किया।

4. तुर्की – तुर्की ने 2017 में S-400 का ऑर्डर दिया था और इसे 2019 में प्राप्त किया, जिससे अमेरिका और नाटो में विवाद पैदा हुआ।

5. बेलारूस – रूस का सहयोगी होने के नाते बेलारूस भी इस सिस्टम का उपयोग करता है।

6. सीरिया – रिपोर्ट्स के मुताबिक, रूस ने सीरिया में अपनी सेना की सुरक्षा के लिए S-400 तैनात किया है।

7. सऊदी अरब (संभावित खरीदार) – सऊदी अरब ने भी इस सिस्टम को खरीदने में रुचि दिखाई है।

8. ईरान (संभावित खरीदार) – रूस से S-400 खरीदने की दिशा में ईरान भी बातचीत कर रहा है।

❖ भारत द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रमुख मिसाइल डिफेंस सिस्टम

❖ भारत अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई तरह के मिसाइल डिफेंस सिस्टम का उपयोग करता है। इनमें घरेलू और विदेशी तकनीक वाले सिस्टम शामिल हैं।

1. S-400 ट्रायम्फ

❖ मूल: रूस

❖ रेंज: 400 किमी तक

❖ **क्षमता:** बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, फाइटर जेट्स और ड्रोन को नष्ट कर सकता है।

❖ **विशेषता:** एक साथ 160 टारगेट ट्रैक कर सकता है और 30 किमी ऊंचाई तक टारगेट को नष्ट कर सकता है।

2. बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस (BMD) प्रोग्राम

❖ **मूल:** भारत (DRDO द्वारा विकसित)

❖ फेज-1 और फेज-2 में विकसित किया जा रहा है।

❖ **मुख्य घटक:**

❖ **प्रथ्वी एयर डिफेंस (PAD) –** 80 किमी ऊंचाई तक टारगेट को नष्ट कर सकता है।

❖ **एडवांस्ड एयर डिफेंस (AAD) –** 30 किमी तक की ऊंचाई पर टारगेट को इंटरसेप्ट कर सकता है।

❖ **विशेषता:** दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल को वातावरण के अंदर और बाहर दोनों जगह नष्ट करने में सक्षम।

3. बराक-8 (LR-SAM & MR-SAM)

- ❖ **मूल:** भारत-इज़राइल (DRDO और IAI द्वारा विकसित)
- ❖ **रेंज:** 70-150 किमी
- ❖ **क्षमता:** दुश्मन के फाइटर जेट, हेलिकॉप्टर, ड्रोन और मिसाइलों को नष्ट कर सकता है।
- ❖ **विशेषता:** भारतीय नौसेना, वायु सेना और थल सेना द्वारा उपयोग किया जाता है।

4. आकाश मिसाइल सिस्टम

- ❖ **मूल:** भारत (DRDO द्वारा विकसित)
- ❖ **रेंज:** 25-30 किमी
- ❖ **क्षमता:** क्रूज मिसाइल, फाइटर जेट और ड्रोन को मार गिराने में सक्षम।
- ❖ **विशेषता:** यह एक स्वदेशी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसे मोबाइल प्लेटफॉर्म से भी लॉन्च किया जा सकता है।

5. SPYDER एयर डिफेंस सिस्टम

- **मूल:** इज़राइल
- **रेंज:** 15-50 किमी
- **क्षमता:** कम ऊंचाई पर उड़ने वाली मिसाइल, ड्रोन और एयरक्राफ्ट को नष्ट कर सकता है।
- **विशेषता:** तेज़ी से प्रतिक्रिया देने वाला सिस्टम, भारतीय वायुसेना द्वारा उपयोग किया जाता है।

6. QRSAM (Quick Reaction Surface-to-Air Missile)

- **मूल:** भारत (DRDO द्वारा विकसित)
- **रेंज:** 25-30 किमी
- **क्षमता:** बहुत कम समय में दुश्मन के टारगेट को नष्ट करने में सक्षम।
- **विशेषता:** मोबाइल प्लेटफॉर्म पर तैनात किया जा सकता है, जिससे यह अत्यधिक प्रभावी और तेज़ है।

7. XRSAM (Extended Range Surface-to-Air Missile) – (विकासाधीन)

- **मूल:** भारत (DRDO द्वारा विकसित)
- **रेंज:** 250-350 किमी
- **क्षमता:** फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइल, ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया।
- **विशेषता:** यह भारत का अगली पीढ़ी का लॉन्ग-रेंज एयर डिफेंस सिस्टम होगा।

Result Mitra

प्रश्न 1: S-400 ट्रायम्फ वायु रक्षा प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह एक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है।
2. इसे रूस द्वारा विकसित किया गया है।
3. यह केवल बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में सक्षम है, लेकिन क्रूज मिसाइलों और फाइटर जेट्स को नहीं।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

धन्यवाद प्रस्ताव

Result Mitra

1. **परिभाषा:** धन्यवाद प्रस्ताव एक संसदीय प्रक्रिया है, जिसमें संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की जाती है और सरकार की नीतियों के लिए आभार व्यक्त किया जाता है।

2. **संवैधानिक प्रावधान:**

- **अनुच्छेद 87:** लोकसभा के आम चुनाव के बाद पहले सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हैं।
- इसे "विशेष संबोधन" कहा जाता है और यह एक वार्षिक प्रक्रिया है।

3. **अभिभाषण का महत्व:**

- सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का विवरण प्रस्तुत करता है।
- पिछली उपलब्धियों की समीक्षा और भविष्य की योजनाओं का उल्लेख किया जाता है।

4. चर्चा और संशोधन:

- संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होती है।
- सांसद संशोधन प्रस्तावित कर सकते हैं, जिसमें वे उन मुद्दों को जोड़ सकते हैं जो अभिभाषण में शामिल नहीं थे।
- यदि संशोधन पारित होता है, तो धन्यवाद प्रस्ताव संशोधित रूप में स्वीकार किया जाता है।

5. मतदान और सरकार की स्थिरता:

- चर्चा के बाद प्रस्ताव पर मतदान होता है।
- यदि धन्यवाद प्रस्ताव अस्वीकार हो जाता है, तो यह सरकार की हार मानी जाती है और यह अविश्वास प्रस्ताव के समान प्रभाव डाल सकता है।

6. नियम और प्रतिबंध:

- ❖ बहस में राष्ट्रपति के नाम का उल्लेख नहीं किया जा सकता।
- ❖ केवल उन्हीं विषयों पर चर्चा हो सकती है जो केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व में आते हैं।

7. अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य:

- ❖ ब्रिटेन में इसे "Speech from the Throne" (सिंहासन से भाषण) कहा जाता है।
- ❖ भारत में यह प्रक्रिया ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से प्रेरित है।

8. प्रधानमंत्री की भूमिका:

- ❖ प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री चर्चा का उत्तर देता है।
- ❖ इसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान कराया जाता है।

❖ बजट में कटौती प्रस्ताव (Cut Motion)

❖ परिचय:

❖ बजट में कटौती प्रस्ताव एक संसदीय प्रक्रिया है, जिसके तहत लोकसभा के सदस्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट अनुदानों में कमी या कटौती का प्रस्ताव रख सकते हैं। यह सरकार की नीतियों और कार्यों पर चर्चा करने और उसे जवाबदेह बनाने का एक महत्वपूर्ण संसदीय उपकरण है।

❖ संवैधानिक प्रावधान

❖ **अनुच्छेद 113:** इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) से संबंधित अनुदानों का उल्लेख किया गया है।

❖ **अनुच्छेद 114:** संसद की स्वीकृति के बिना किसी भी प्रकार के व्यय को सरकारी निधि से नहीं निकाला जा सकता।

❖ बजट में कटौती प्रस्ताव के प्रकार

1. नीति कटौती प्रस्ताव (Policy Cut Motion)

❖ **उद्देश्य:** सरकार की संपूर्ण नीति पर असहमति व्यक्त करना।

❖ **स्वरूप:** प्रस्ताव में अनुदान की राशि को ₹1 तक कम करने का सुझाव दिया जाता है।

❖ **उदाहरण:** किसी योजना या नीति को अस्वीकार करने के लिए यह प्रस्ताव लाया जाता है।

2. आर्थिक कटौती प्रस्ताव (Economy Cut Motion)

❖ **उद्देश्य:** सरकार द्वारा किए गए अनावश्यक या अधिक खर्च को नियंत्रित करना।

❖ **स्वरूप:** प्रस्ताव में अनुदान की राशि को एक निश्चित सीमा तक घटाने का सुझाव दिया जाता है।

❖ **उदाहरण:** यदि किसी मंत्रालय का बजट ₹10,000 करोड़ है, तो इसमें ₹2,000 करोड़ की कटौती का प्रस्ताव दिया जा सकता है।

3. विस्तृत कटौती प्रस्ताव (Token Cut Motion)

- **उद्देश्य:** किसी विशेष नीति या कार्यप्रणाली के विरोध में प्रस्ताव लाना।
- **स्वरूप:** प्रस्ताव में अनुदान में ₹100 की प्रतीकात्मक कटौती की मांग की जाती है।
- **उदाहरण:** यदि किसी क्षेत्र में सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है, तो उसके विरोध में यह प्रस्ताव लाया जा सकता है।

महत्व और प्रभाव

- सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने का संसदीय तरीका।
- वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता को बढ़ावा।
- यदि कटौती प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो यह सरकार के प्रति अविश्वास व्यक्त क होता है।

❖ सीमाएँ

❖ केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं।

❖ सामान्यतः सत्ताधारी दल के बहुमत के कारण यह पारित नहीं हो पाता।

❖ कटौती प्रस्ताव पारित होने का मतलब संबंधित मंत्री का इस्तीफा या सरकार की अस्थिरता हो सकता है।

❖ भारत की संसद में धन्यवाद प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. धन्यवाद प्रस्ताव राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों में प्रस्तुत किया जाता है।

2. यदि लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं होता है, तो यह सरकार के लिए अविश्वास प्रस्ताव के समान होता है।

3. राष्ट्रपति का अभिभाषण केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में नहीं।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(A) केवल 1 और 2

(B) केवल 2 और 3

(C) केवल 1 और 3

(D) 1, 2 और 3

महिला जननांग विकृति के प्रति शून्य सहनशीलता दिवस

1. **जननांग विकृति के बारे में जागरूकता:** हर साल 6 फरवरी को महिला जननांग विकृति (एफजीएम) के प्रति शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है।

❖ इसका उद्देश्य जननांग विच्छेदन के कारण लड़कियों और महिलाओं के मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में जागरूकता फैलाना है।

2. **महिला जननांग विकृति (एफजीएम) क्या है ?**

❖ यह बिना चिकित्सीय कारणों से महिला जननांगों में बदलाव या नुकसान पहुंचाने की प्रक्रिया है, जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों का उल्लंघन माना जाता है।

3. **स्वास्थ्य पर प्रभाव:** एफजीएम से गुजरने वाली लड़कियों और महिलाओं को दर्द, रक्तस्राव, संक्रमण, पेशाब करने में कठिनाई, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव और मानसिक संकट का सामना करना पड़ता है।

स्वास्थ्य

महिला जननांग विकृति के प्रति शून्य सहनशीलता दिवस: हर साल 20 लाख से अधिक लड़कियां बनती हैं शिकार

साल 2025 में दुनिया भर में 44 लाख से अधिक लड़कियों या हर दिन लगभग 12,200 को जननांग विकृति के खतरे की आशंका जताई गई है

Source:– DOWN TO EARTH

4. आंकड़े और जोखिम:

- 2025 में 44 लाख से अधिक लड़कियां एफजीएम के खतरे में होंगी।
- हर दिन लगभग 12,200 लड़कियां एफजीएम के शिकार हो सकती हैं।
- हर साल 20 लाख से अधिक लड़कियां 5 साल की उम्र से पहले एफजीएम की शिकार हो जाती हैं।

5. महत्वपूर्ण तथ्य:

- 20 करोड़ से अधिक महिलाएं और लड़कियां एफजीएम से गुजर चुकी हैं।
- 23 करोड़ से अधिक महिलाएं ऐसी हैं जो बच गई हैं, लेकिन उन्हें उचित देखभाल की आवश्यकता है।
- अगर कार्रवाई में देरी होती है, तो 2030 तक 2.7 करोड़ अतिरिक्त लड़कियों के एफजीएम से पीड़ित होने का खतरा है।

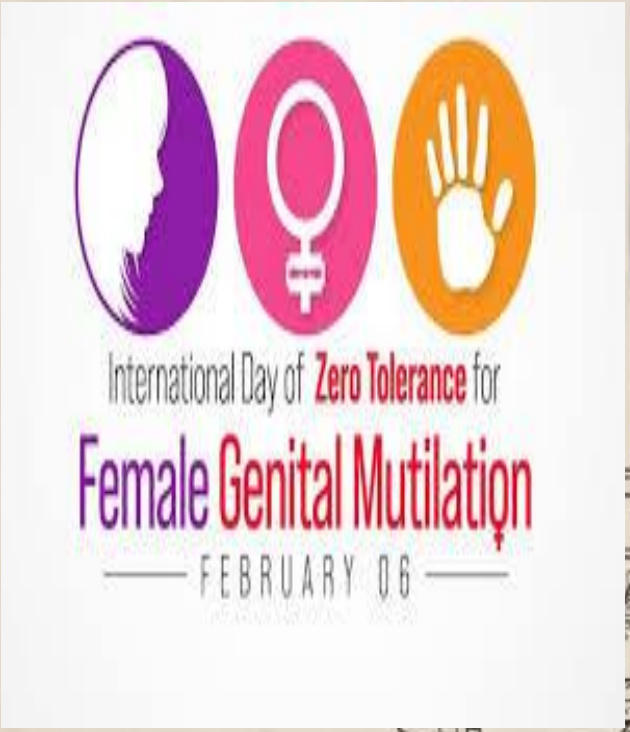

Result Mitra

6. **समाज की भूमिका:** महिला जननांग विकृति के उन्मूलन के लिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है, जिसमें पूरे समुदाय को शामिल किया जाए और मानवाधिकार, लैंगिक समानता और यौन शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाए।

7. **आर्थिक असर:** एफजीएम से बचे लोगों की देखभाल पर हर साल लगभग 1.4 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च होते हैं।

❖ प्रश्न 1: महिलाओं से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 (3) के तहत राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति है।

2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 (d) समान कार्य के लिए पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन का प्रावधान करता है।

3. संविधान में महिला आरक्षण के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(A) केवल 1 और 2

(B) केवल 2 और 3

(C) केवल 1 और 3

(D) 1, 2 और 3

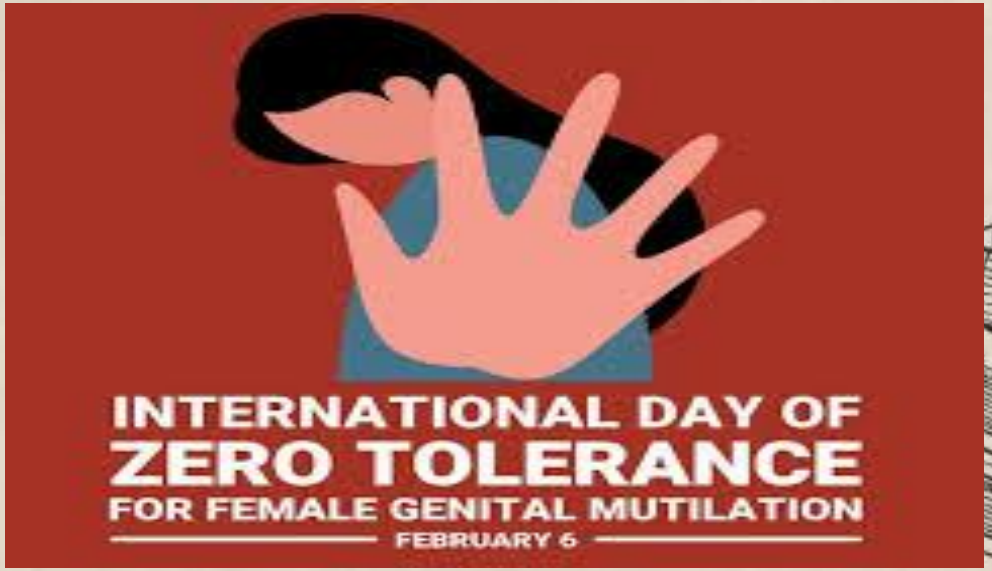

बागवानी उत्पादन के नए आंकड़े
(2023-24 और 2024-25)

❖ **बागवानी उत्पादन के आंकड़ों को मंजूरी:** केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 2023-24 के अंतिम अनुमान और 2024-25 के प्रथम अग्रिम अनुमान जारी किए।

❖ **खेती-किसानी का विकास:** प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सरकार लगातार कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित कर रही है।

❖ **कृषि मंत्रालय की भूमिका:** केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में योजनाओं के जरिए किसानों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

❖ **2023-24 में बागवानी उत्पादन:** अनुमानित उत्पादन 354.74 मिलियन टन।

❖ **2022-23 की तुलना में वृद्धि:** 2023-24 में 2.28% क्षेत्र में बागवानी फसलों का विस्तार।

- **2024-25 का प्रथम अग्रिम अनुमान:** उत्पादन 362.09 मिलियन टन होने का अनुमान।

- **वृद्धि का अनुमान:** 2023-24 के अंतिम अनुमान की तुलना में 2024-25 के प्रथम अग्रिम अनुमान में 73.42 लाख टन (2.07%) अधिक।

- **भारत में बागवानी उत्पादन (2023-24 और 2024-25) – मुख्य बिंदु**

2. वर्ष 2023-24 (अंतिम अनुमान)

- **बागवानी उत्पादन:** 354.74 मिलियन टन
- **बागवानी क्षेत्र:** 29.09 मिलियन हेक्टेयर
- **वृद्धि:** वर्ष 2022-23 की तुलना में 2.28% (0.65 मिलियन हेक्टेयर) की वृद्धि।

3. वर्ष 2024-25 (प्रथम अग्रिम अनुमान)

- **अनुमानित बागवानी उत्पादन:** 362.09 मिलियन टन
- **वृद्धि:** वर्ष 2023-24 की तुलना में 73.42 लाख टन (2.07%) अधिक।

4. सरकार की पहल

- केंद्र सरकार खेती-किसानी के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत।
- कृषि मंत्रालय विभिन्न योजनाओं से किसानों को बढ़ावा दे रहा है।

❖ 2023-24 (अंतिम अनुमान) के मुख्य बिंदु

1. **कुल बागवानी उत्पादन:** 354.74 मिलियन टन

2. **बागवानी क्षेत्र:** 29.09 मिलियन हेक्टेयर (2022-23 की तुलना में 2.28% वृद्धि)

3. **फलों का उत्पादन:** 1129.78 लाख टन (आम, केला, शरीफा, अंगूर और कटहल में वृद्धि)

4. **सब्जियों का उत्पादन:** 2072.08 लाख टन (टमाटर, लौकी, गोभी, गाजर, टैपिओका, करेला, खीरा में वृद्धि)

5. **प्याज का उत्पादन:** 242.67 लाख टन (पिछले वर्ष 302.08 लाख टन था, कमी देखी गई)

6. **टमाटर का उत्पादन:** 213.23 लाख टन (4.40% वृद्धि)

7. **सुगंधित एवं औषधीय पौधों का उत्पादन:** 7.26 लाख टन (19.44% वृद्धि)

8. **फूलों का उत्पादन:** 35.35 लाख टन (2022-23 में 30.97 लाख टन था)

9. **बाग़ान फसलों का उत्पादन:** 176.66 लाख टन (2022-23 में 170.49 लाख टन था)

10. **मसालों का कुल उत्पादन:** 124.84 लाख टन (जीरा, सौंफ, अदरक, लाल मिर्च में वृद्धि)

❖ 2024-25 (प्रथम अग्रिम अनुमान) – बागवानी उत्पादन के मुख्य बिंदु

❖ **कुल उत्पादन:** 2024-25 में अनुमानित बागवानी उत्पादन 362.09 मिलियन टन, जो 2023-24 की तुलना में 2.07% (73.42 लाख टन) अधिक है।

❖ **फलों का उत्पादन:** 1132.26 लाख टन (पिछले वर्ष से 2.48 लाख टन अधिक)

❖ **मुख्य वृद्धि:** आम, अंगूर और केले में उत्पादन बढ़ोतरी।

❖ **सब्जियों का उत्पादन:** 2145.63 लाख टन (पिछले वर्ष से 73.55 लाख टन अधिक)

❖ **मुख्य वृद्धि:** प्याज, आलू, टमाटर, हरी मिर्च, फूलगोभी और मटर।

- **प्याज उत्पादन:** 288.77 लाख टन (पिछले वर्ष से 46.10 लाख टन अधिक)
- **आलू उत्पादन:** 595.72 लाख टन (पिछले वर्ष से 25.19 लाख टन अधिक)
- **टमाटर उत्पादन:** 215.49 लाख टन (पिछले वर्ष से 1.06% अधिक)
- **बाग़ान फसलें:** 179.37 लाख टन (पिछले वर्ष से 1.53% अधिक)
- **मसाले उत्पादन:** 119.96 लाख टन
- **मुख्य वृद्धि:** लहसुन और हल्दी के उत्पादन में वृद्धि।

❖ प्रश्न 1: भारत में कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत में कृषि एक राज्य सूची का विषय है।

2. राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) का उद्देश्य देश में कृषि उत्पादों की एकीकृत बाजार व्यवस्था स्थापित करना है।

3. न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की सिफारिश कृषि मंत्रालय द्वारा की जाती है।उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(A) केवल 1 और 2

(B) केवल 2 और 3

(C) केवल 1 और 3

(D) 1, 2 और 3

शास्त्रीय भाषा को मिलने वाले लाभ

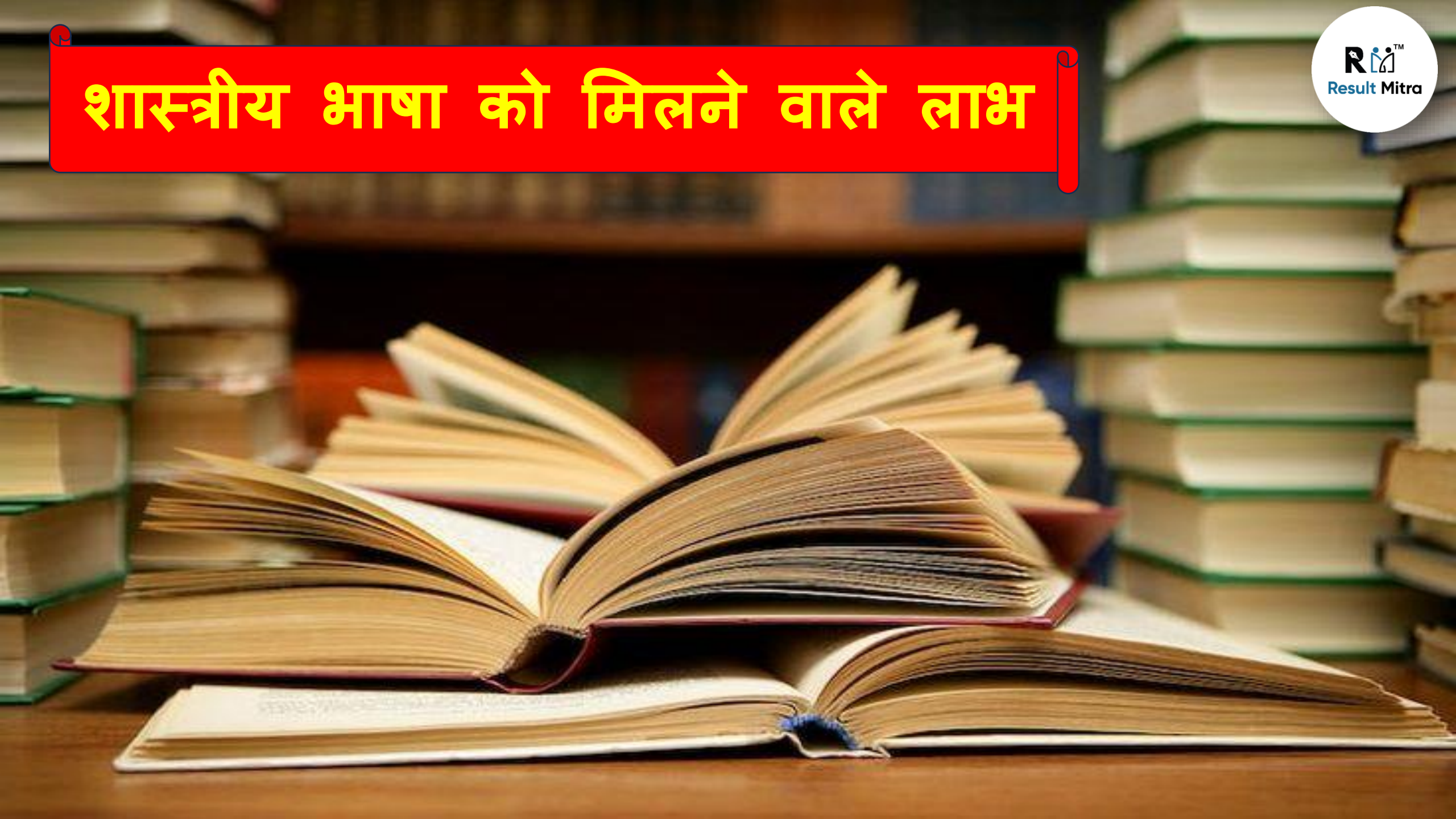

Result Mitra

❖ भारतीय शास्त्रीय भाषाओं का महत्त्व

1. **ऐतिहासिक विरासत** – भारतीय शास्त्रीय भाषाएँ समृद्ध ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाली हैं और प्राचीन सभ्यताओं के ज्ञान को संरक्षित करती हैं।

2. **साहित्यिक परंपराएँ** – संस्कृत, तमिल, पालि, प्राकृत आदि भाषाओं में रचित ग्रंथ साहित्य, काव्य, नाटक और शास्त्रों की गहरी परंपरा को दर्शाते हैं।

3. **बौद्धिक योगदान** – ये भाषाएँ दर्शन, धर्म, विज्ञान, गणित और चिकित्सा जैसे विविध क्षेत्रों में अमूल्य योगदान देती हैं।

4. **धार्मिक महत्त्व** – हिंदू, बौद्ध, जैन और अन्य धार्मिक परंपराओं के पवित्र ग्रंथ शास्त्रीय भाषाओं में ही लिखे गए हैं।

5. **संस्कृति और परंपरा** – इन भाषाओं ने भारतीय सांस्कृतिक पहचान, कला, संगीत और नृत्य पर गहरा प्रभाव डाला है।

6. **संरक्षण और पुनरुत्थान** – आधुनिक काल में इन भाषाओं के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए विभिन्न संस्थाएँ कार्यरत हैं।

7. **अंतरराष्ट्रीय प्रभाव** – भारतीय शास्त्रीय भाषाओं ने दक्षिण एशिया और अन्य देशों की भाषाओं और संस्कृतियों को भी प्रभावित किया है।

❖ शास्त्रीय भाषा घोषित करने के संशोधित मानदंड (2005 और 2024)

❖ 2005 के संशोधित मानदंड:

1. **उच्च पुरातनता:** भाषा के प्रारंभिक ग्रंथ और ऐतिहासिक विवरण 1,500 से 2,000 ईसा पूर्व के होने चाहिए।

2. **प्राचीन साहित्य:** पीढ़ियों द्वारा संजोई गई साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत का होना आवश्यक।

3. **ज्ञान ग्रंथ:** भाषा की एक मूल साहित्यिक परंपरा होनी चाहिए, जो किसी अन्य भाषा समुदाय से उधार न ली गई हो।

4. **विशिष्ट विकास:** शास्त्रीय भाषा और आधुनिक भाषा में महत्वपूर्ण अंतर और विसंगति होनी चाहिए।

❖ 2024 के संशोधित मानदंड:

❖ ज्ञान ग्रंथ की परिभाषा में बदलाव:

❖ अब इसमें विशेष रूप से कविता, पुरालेखीय और शिलालेखीय साक्ष्य के साथ गद्य ग्रंथ को शामिल किया गया।

❖ शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने के लाभ:

1. भाषा के अध्ययन और संरक्षण के लिए सरकारी सहायता।

2. अनुसंधान, शिक्षण और संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक सहयोग।

3. शास्त्रीय भारतीय भाषाओं में कार्य करने वाले विद्वानों को प्रतिवर्ष दो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।

3. शास्त्रीय भाषाओं को उपलब्ध सहायता:

- शास्त्रीय भाषाओं में पुरस्कार
- अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केंद्र
- केंद्रीय विश्वविद्यालयों में व्यावसायिक पीठों का सृजन

4. प्रमुख संस्थान और उत्कृष्टता केंद्र:

- **तमिल:** केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान (CICT), चेन्नई (2008)
- **संस्कृत:** तीन केंद्रीय विश्वविद्यालय (नई दिल्ली व तिरुपति)
- **तेलुगु:** शास्त्रीय तेलुगु अध्ययन केंद्र, नेल्लोर (आंध्र प्रदेश)
- **कन्नड़:** शास्त्रीय कन्नड़ अध्ययन केंद्र, मैसूर (कर्नाटक)

❖ **मलयालम:** शास्त्रीय मलयालम अध्ययन केंद्र, तिरुर, मलप्पुरम (केरल)

❖ **ओडिया:** शास्त्रीय ओडिया अध्ययन केंद्र, भुवनेश्वर (ओडिशा)

5. शिक्षा मंत्रालय की भूमिका:

❖ केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान (CIIL), मैसूर के माध्यम से भाषाओं का प्रचार-प्रसार

❖ शोध, दस्तावेज़ीकरण और विद्वत्तापूर्ण गतिविधियों को समर्थन

❖ शास्त्रीय भाषाओं के विकास के लिए केंद्रों और संस्थानों की स्थापना

भारतीय भाषा का दर्जा प्राप्त भाषाएं

भाषा	शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने का वर्ष
तमिल	2004
संस्कृत	2005
तेलुगु	2008
कन्नड़	2008
मलयालम	2013
ओडिशा	2014
मराठी	2024
पाली	2024
प्राकृत	2024
असमिया	2024
बंगाली	2024

❖ प्रश्न 1: भारत में शास्त्रीय भाषाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत में अब तक 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है।

2. किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित करने का अधिकार भारतीय संविधान के तहत दिया गया है।

3. शास्त्रीय भाषाओं को विशेष प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(A) केवल 1 और 2

(B) केवल 1 और 3

(C) केवल 2 और 3

(D) 1, 2 और 3

THANK YOU

@resultmitra / 8650457000

@resultmitra

@resultmitra

Result Mitra

LIKE & SHARE

PDF

+ SUBSCRIBE